क्रमांक 32/65/82-4 जी0 एस0 -I

प्रेषक,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा सरकार, आयुक्त हिसार तथा अम्बाला मंडल, हरियाणा ।

2. रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट, चण्डीगढ़ ।

दिनांक, चण्डीगढ़, 27 दिसम्बर, 1982 :

विषय :- 50/55 वर्ष की आयु से आगे सेवा में वृद्धि प्रदान करना—केसों को भेजने में अनावश्यक विलम्ब को रोकना ।

श्री मान जी,

मुझे आपका ध्यान हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 28/138/81-4 जी0 एस0-I, दिनांक 4 सितम्बर, 1981 की ओर दिलाने और यह कहने का निर्देश हुआ है कि इस पत्र के पैरा 3 में निहित हिदायतों की कड़ाई से पालना नहीं की जा रही है जबकि यह स्पष्ट किया गया था कि केस इस विभाग को अमुक अधिकारी/कर्मचारी की 50/55 वर्ष की आयु की प्राप्ति से 6 मास पहले भेजा जाए क्योंकि यदि आवश्यक हो तो अधिकारी को सेवा निवृति का 3 मास का नोटिस दिया जा सके ।

2. यह भी अनुभव किया गया है कि ऐसे केसों में देरी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि प्रशासकीय सचिवों तथा विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में ऐसी कोई सूची या सारणी maintain नहीं की जाती है जिससे यह पता चल सके कि विभाग के कितने कर्मचारी/अधिकारी कौन से वर्ष, कौन सी तिथि को 55/55 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे । यदि ऐसी सूची पहले ही बना कर रखी गई हो तो प्रत्येक कर्मचारी / अधिकारी के केस को समय पर रिव्यू करने में सुविधा होगी । अतः यह निर्णय लिया गया है कि वे संलग्न सूची के नमूने के अनुसार अपने कार्यालयों में सूचीयां/सारणी बनवाएं जिनमें आगामी 2 वर्षों में 50/55 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के केसों का रिव्यू किया जाना हो। इस सूची सारणी की एक प्रति अपने प्रशासकीय सचिवों को भी भेजी जाए ताकि वे भी इस सूची के अनुसार प्रत्येक केस पर नजर रख सकें । यह सूची हर वर्ष जनवरी के महीने में तैयार कर ली जावे ।

3. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे केसों को तिथि बद्ध मार्क किया जाए ताकि हरेक स्तर पर केस को डील करने में देरी न हो और यदि स्मरण पत्र भी जारी करना पड़े तो वह भी अर्ध सरकारी पत्र ही जारी किया जाए ताकि अमुक केस सरकार को (सामान्य सेवाएं शाखा-I) में Crucial तिथि से 6 मास पहले पहुंच सके ।

कृपया यह हिदायतें सभी सम्बन्धित के ध्यान में ला दी जाएं ।

भवदीय

हस्त/-

संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक प्रति सभी वित्तायुक्तों तथा प्रशासनिक सचिवों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी

सभी विभागाध्यक्षों द्वारा मेनटेन की जाने वाली सूची / सारणी

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम तथा जन्म तिथि	50 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि	50 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व 6 मास की तिथि जब केस सरकार को अवश्य भेजा जाना है ।	55 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि	55 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व जब केस सरकार को अवश्य में भेजा जाना है ।
1	2	3	4	5	6